न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 3/2026 (Bank Case)

GCMS No. 2026/5

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय– मेंटर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कोलोनी, जयपुर– 302004 में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री सतीश गौतम।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. घांसीलाल पुत्र श्री किशन लाल –(ऋणी/बंधककर्ता)
   पता– म0नं0–161 बैरवा बस्ती, देवली मांझी, सांगोद, कोटा (राज0)
2. श्रीमती शकुन्तला बाई पत्नी श्री घांसीलाल –(सह–ऋणी)
   पता– म0नं0–161 बैरवा बस्ती, देवली मांझी, सांगोद, कोटा (राज0)
3. नरेश मेघवाल पुत्र श्री घांसीलाल –(सह–ऋणी)
   पता– म0नं0–161 बैरवा बस्ती, देवली मांझी, सांगोद, कोटा (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 18.02.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय– मेंटर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कोलोनी, जयपुर– 302004 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तिय संस्था से दिनांक 16.07.2019 को रूपये 5,00,000/–रूपये (अक्षरेः पांच लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **घांसीलाल पुत्र श्री किशन लाल की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 12, मिसल संख्या 2, एस.सी मोहल्ला, ग्राम देवली, ग्राम पंचायत देवली, पंचायत समिति सांगोद, कोटा (राज0) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2145 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– स्वंयम का बाडा, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– बिरधीलाल मेघवाल का मकान, दक्षिण में– रामकैलाश मेघवाल का मकान,** को प्रार्थी वित्तिय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 20.12.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 6,63,807/–(अक्षरे छः लाख, तिरेषठ हजार आठ सौ सात रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 28.04.2022 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तिय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.04.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक

30.04.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 30.04.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता घांसीलाल पुत्र श्री किशन लाल की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 12, मिसल संख्या 2, एस.सी मोहल्ला, ग्राम देवली, ग्राम पंचायत देवली, पंचायत समिति सांगोद, कोटा (राज0) में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 2145 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरव में– स्वंयम का बाडा, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– बिरधीलाल मेघवाल का मकान, दक्षिण में– रामकैलाश मेघवाल का मकान, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)